न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर–खीरी।

प्रकीर्ण फौ0 वाद सं0 909/2019

शिशिर कुमार **बनाम** **अज्ञात**

14.09.2024

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाय उसे कोई आपत्ति नही है।

चूँकि स्वयं वादी मुकदमा मामले को चलाना नहीं चाहता है। अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। केस डायरी का अवलोकन किया। विवेचक द्वारा पाया गया है कि चोरी की गयी मोटरसाइकिल संख्या यू0पी0 31 के0–3056 के संबंध में चोरों का पता लगाने का काफी प्रयास किया गया परन्तु मोटरसाइकिल व चोरों का कोई पता नहीं चल सका। मोटरसाइकिल व चोरों की पतारसी को ध्यान में रखते हुए अभियोग की ववेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की जाती है। प्रपत्रों से विवेचना में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है अतः अंतिम रिपोर्ट वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के प्रकाश में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वादी मुकदमा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 1537/2018 अंतिम रिपोर्ट संख्या 87/2019 दिनांकित 15.02.2019 स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

सी0जे0एम0
खीरीं।